न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग)

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 57/2023

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला डीग

प्रार्थी

बनाम

1. अकबर पुत्र चाव खां
2. दीन मौहम्मद पुत्र चाव खां जाति मेव निवासी कठौल तहसील पहाडी
3. फजरू पुत्र चाव खां (मृतक)
   3/1 मौनिस पुत्र फजरू जाति मेव निवासी कठौल तहसील पहाडी
   3/2 रिहान पुत्र फजरू
   3/3 रिजवान पुत्र फजरू नाबालिगान जरिये वली सरपस्त माता खुद नुसरत पत्नि फजरू जाति मेव निवासी कठौल तहसील पहाडी
   3/4 नुसरत पत्नि फजरू जाति मेव निवासी कठौल तहसील पहाडी
4. फौज खां पुत्र चावं खां
5. मौज खां पुत्र चाव खां जाति मेव निवासी कठौल तहसील पहाडी
6. आरिसा पत्नि गफूर जाति सक्का निवासी कठौल तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 07/05/2024

निर्णय

प्रार्थी तहसीलदार पहाडी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2361 रकबा 0.49 हैक्टर किस्म जमीन गैर0मुम0 शमशान व खसरा नम्बर 2352 रकबा 0.07 किस्म बारानी द्वितीय ग्राम कठौल तहसील पहाडी में स्थित पर दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया है आराजी खसरा नम्बर 2361 सिवायचक सरकार एवं खसरा नम्बर 2352 रकबा 0.07 हैक्टर अकबर पुत्र चाव खां हिस्सा 1/6 , दीन मौहम्मद पुत्र चाव खां हिस्सा 1/6, फजरू पुत्र चाव खां हिस्सा 1/6, फौज खां पुत्र चाव खां हिस्सा 1/6 जाति मेव व आरिसा पत्नि गफूर हिस्सा 1/6 जाति सक्का निवासी कठौल खातेदारान दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जमाबन्दी में आराजी खसरा नम्बर 2361/0.49 हैक्टर गै0मु0 शमशान दर्ज है लेकिन नक्शा सीट में रकबा बरारी करने पर 0.41 हैक्टर बैठता है तथा खसरा नम्बर 2352 /0.07 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नक्शा सीट अनुसार रकबा बरारी करने पर 0.15 हैक्टर बैठता है। अतः खसरा नम्बर 2361/0.49, 2352/0.07 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार नक्शा सीट में दुरूस्ती की जावें।

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाव प्रस्तुत कर उक्त दुरूस्ती करने से यह कहते हुये

Scanned with OKEN Scanner

इंकार किया कि तहसीलदार साहब पहाडी द्वारा बिना मौका जाँच किये दुरूस्ती का दावा पेश किया है जो गलत है । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त फरमाया जावें। प्रतिवादी संख्या 6 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आई। उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया एवं वकील अप्रार्थीगण ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2361/0.49 हैक्टर मौके पर पूर्ण है लेकिन नक्शा सीट के अनुसार रकबा 0.41 हैक्टर बैठता है एवं खसरा नम्बर 2352 राजस्व रिकॉर्ड 0.07 हैक्टर दर्ज है लेकिन नक्शा सीट में रकबा बरारी करने पर 0.15 हैक्टर बैठता है । उक्तानुसार दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आज्ञा है कि :–

तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का कठौल की रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2361/0.49 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 2352/0.07 हैक्टर का नक्शा सीट में रकबा पूर्ण करते हुये दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा सीट में मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबा अनुसार दुरूस्ती की जावें। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 07/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner